

बिहार सरकार
गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

मुख्य सचिवालय, ब्लॉक-2, द्वितीय तल, पटना-800015

कार्यालय आदेश.....128...../2026

सं०सं० अ०नि० (02) 12/2024/नि०सं०

श्रीमती जागृति कुमारी, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, पूर्णियाँ को वित्त विभागीय अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19.01.2015 द्वारा यथा संशोधित बिहार सेवा संहिता के नियम-220A के प्रावधानों के आलोक में अपनी 02 वर्षीय पुत्री की देखभाल करने हेतु दिनांक 04.06.2026 से 18.07.2026 तक कुल 45 (पैंतालीस) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्रीमती जागृति कुमारी द्वारा उक्त दिनों का शिशु देखभाल अवकाश उपभोग करने के पश्चात् इनका कुल $730-61-45 = 624$ दिन शिशु देखभाल अवकाश शेष संचित है।

3. इसमें सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

उप सचिव

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 12/2024/नि०सं०.....

दिनांक

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/मुख्य अभियोजक, पूर्णियाँ/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/श्रीमती जागृति कुमारी, अभियोजन पदाधिकारी, जिला अभियोजन कार्यालय, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

उप सचिव।

ज्ञापांक: अ०नि० (02) 12/2024/नि०सं०.....1680

दिनांक 30/6/26

प्रतिलिपि:- प्रोग्रामर, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

उप सचिव।

